नई दिल्ली, 18 मार्च, 2011

सा.का.नि. 106.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (मोटर परिवहन पर्यवेक्षक) भर्ती नियम, 1995 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- ा. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, मोटर परिवहन पर्यवेक्षक भर्ती (संशोधन) नियम, 2011 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. संघ लोक सेवा आयोग (मोटर परिवहन पर्यवेक्षक) भर्ती नियम, 1995 में,—
 - (i) नियम 2 में, "वेतनमान" शब्दों के स्थान पर, "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे;
 - (ii) विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :--

	_	_		S.
31	7	44	딕	Ī

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के निमय 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मोटर परिवहन पर्यवेक्षक	01*(2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	ਕੇਰਜ ਕੱੱਛ-2 9300— 34800 ਝ. + ਸ਼ੇਂਛ ਕੇਰਜ 4200 ਝ.	लागू नहीं होता	77 - 172	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	
(8)	(9)	(10)	

भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

भरा जान वाला सिक्तया का प्रतिशतता	
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :
	(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
	(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड, 5200—20200 रु. तथा ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य वाले पदों पर, नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है: या

(12)

- (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड, 5200—20200 रु. तथा ग्रेड वेतन 2400 रु. या समतुल्य वाले पदों पर, नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की है;
- (iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड, 5200—20200 रु. तथा ग्रेड वेतन 1900 रु. या समतुल्य वाले पदों पर, नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में अठारह वर्ष सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास केन्द्रीय सरकार के अधीन यानों के उपयोग, देखभाल, अभिरक्षा, मरम्मत और रखरखाव कर्त्तव्य वाले पदों पर मोटर परिवहन कार्य का सात वर्ष का अनुभव है।
- (ग) जिनके पास मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति है। वांछनीय: किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर मैकेनिक का प्रमाण-पत्र। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अविधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की ऑतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले/उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) पर, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

लागू नहीं होता	इन नियमों के उपबंधों का कोई शिथिलीकरण या संशोधन करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।			
(13)	(14)			
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा			

[फा. सं. 39021/12/2009-स्था. (ख)]

राकेश मोजा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. सं. 433, तारीख 30-9-1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का.नि. सं. 103, तारीख 24-2-2001 द्वारा किया गया था।

New Delhi, the 18th March, 2011

- G.S.R. 106.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Union Public Service Commission (Motor Transport Supervisor) Recruitment Rules, 1995, namely:—
- Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Motor Transport Supervisor Recruitment (Amendment) Rules, 2011.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. In the Union Public Service Commission (Motor Transport Supervisor) Recruitment Rules, 1995,—
 - (i) in rule 2, for the words "scale of pay", the words "pay band and grade or pay scale" shall be substituted;
 - (ii) for the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :-

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether Selection post or Non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Motor Transport Supervisor	01*(2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300— 34800 plus Grade Pay Rs. 4200	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	
(8)	(9)	(10)	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	
		The state of the s	

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(11) (12)
Deputation Deputation:

Officers under the Central Government:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
 - (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band of Rs. 5200—20200 with Grade Pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or department; or
 - (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band of Rs. 5200—20200 with Grade Pay of Rs. 2400 or equivalent in the parent cadre or department;
 - (iv) with eighteen years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band of Rs. 5200—20200 with Grade Pay of Rs. 1900 or equivalent in the parent cadre or department; and

(12)

- (b) having seven years experience in motor transport work, in posts involving duties relating to use, care, custody, repair and maintenance of vehicles under the Central Government; and
- (c) having a valid driving licence for motor cars.

Desirable: Motor Mechanic Certificate from an Industrial Training Institute.

Note 1: Period of deputation including period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment		
(13)	(14)		
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary for any relaxation or amendment of the provisions of these Rules.		

[F. No. 39021/12/2009-Estt. (B)] RAKESH MOZA, Under Secv.

Foot Note: The Principal rules were published vide number G.S.R. 433, dated 30-9-1995 and subsequently amended by number G.S.R. 103, dated 24-2-2001.

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2011

सा.का.नि. 107.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग, अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) भर्ती (संशोधन) नियम, 2011 है ।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. संघ लोक सेवा आयोग, अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) भर्ती नियम, 1993 में,—
 - (i) नियम 2 में, "वेतनमान" शब्दों के स्थान पर, "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे ।
 - (ii) अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—